



9. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष में निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये:-

क्र.	उद्योग/संस्थान का नाम	प्रकरण दायर करने का दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1	मेसर्स सेठाना डेयरी इमलिया, जबलपुर	9/4/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25,33 ए, 41, एवं 44 के अन्तर्गत।	डेयरी द्वारा नदी के जल में प्रदूषण फैलाए जाने के कारण।
2	मेसर्स वर्मा डेयरी कंदराखेडा, जबलपुर	9/4/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25,33 ए, 41, एवं 44 के अन्तर्गत।	डेयरी द्वारा नदी के जल में प्रदूषण फैलाए जाने के कारण।
3	मेसर्स अलका डेयरी कंदराखेडा जबलपुर	9/4/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25,33 ए, 41, एवं 44 के अन्तर्गत।	डेयरी द्वारा नदी के जल में प्रदूषण फैलाए जाने के कारण।
4	मेसर्स वाहिद डेयरी गोरिया घाट जबलपुर	9/4/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25,33 ए, 41, एवं 44 के अन्तर्गत।	डेयरी द्वारा नदी के जल में प्रदूषण फैलाए जाने के कारण।
5	मेसर्स रजक डेयरी गोरिया घाट जबलपुर	9/4/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41 (2) व 44	बिना सम्मति संचालन एवं निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण।
6	मेसर्स आदर्श डेयरी कंदराखेडा जबलपुर	9/4/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25,33 ए, 41, एवं 44 के अन्तर्गत।	डेयरी द्वारा नदी के जल में प्रदूषण फैलाए जाने के कारण।
7	मेसर्स डोल्फिन मार्बल कटनी	30/4/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43,44 एवं 45 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -37 व 38	बगैर जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये बिना संचालित रहने तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण।
8	मेसर्स ए.डब्लू एण्ड संस मार्बल माइन्स कटनी	30/4/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43,44 एवं 45 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -37 व 38	बगैर जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये बिना संचालित रहने तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण।
9	मेसर्स रमणीक पॉवर प्रा. लि. वारासिवनी बालाघाट	30/4/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं 44 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21/22,37 व 39	जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने के कारण।
10	मेसर्स सदभाव इंजीनियरिंग लि. स्टोन केसिंग, हॉटमिक्स, डब्लूएम एम एवं स्टोन माइन्स यूनिट ग्राम जैठारी, तह. उमरेठ छिंदवाड़ा	1/10/12	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21,22,31 ए, 37 व 40 के अन्तर्गत।	वायु प्रदूषण फैलाने तथा वायु अधिनियम का उल्लंघन के कारण।



11	मेसर्स स्टेण्डर्ड सरफेक्टेंट लि. मण्डीदीप जिला-रायसेन	6/10/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं 47 के अन्तर्गत।	जल सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
12	मेसर्स दीपक गुप्ता/श्री जी मिनरल्स लेटराईट फायर किले माईन्स सिहोरा जबलपुर	19/10/12	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 45 ए	बिना सम्मति एवं एन्डैन्स कैपेसिटी के माईन्स चालू करने के कारण।
13	मेसर्स गुरुकृपा डेयरी कंदराखेडा जबलपुर	4/5/12	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25,33 ए, 41, एवं 44 के अन्तर्गत।	डेयरी द्वारा नदी के जल में प्रदूषण फैलाए जाने के कारण।
14	मेसर्स रामकृष्ण साल्वेक्स प्रा.लि. चापलाखेडी,जिला रतलाम	25/4/12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15,16 के अन्तर्गत	बोर्ड से परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन,हथालन एवं सीमापार परिचलन) नियम 2008 के अन्तर्गत बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किये बगैर उत्पादन करने के कारण।
15	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई रामनगर नागपुर	4/3/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25,33 ए, 44 एवं 47 के अन्तर्गत।	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड की बिना सम्मति एनएच-69 सडक का निर्माण करने के कारण।
16	मेसर्स सज्जन कैमिकल्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. रतलाम	5/3/13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत	परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 1989 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार की शर्तों के उल्लंघन के कारण।
17	मेसर्स एस.एम.व्ही.ब्रेबरीज लि.मण्डीदीप जिला-रायसेन	14/3/13	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा- 44 के अन्तर्गत।	जल सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
18	मेसर्स सोम डिस्टलरी इमलिया,छिदवाडा	25/3/13	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 39 व 40 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 45 ए एवं 47 के अन्तर्गत।	बोर्ड की सम्मति प्राप्त किये बिना संचालित रहने एवं बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के कारण।
19	मेसर्स शक्ति शुगर मिल प्रा.लि.कोठिया,नरसिंहपुर		जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 45 ए एवं 47 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा -21, 37 व 39 के अन्तर्गत।	बोर्ड की सम्मति प्राप्त किये बिना संचालित रहने एवं बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के कारण।

सिद्ध हुये आरोप:-

मेसर्स हनुमान साइजिंग वर्क्स बुरहानपुर के विरुद्ध बोर्ड की बिना सम्मति उद्योग का संचालन करने के कारण माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बुरहानपुर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 670/08 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44 एवं 47 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 40 के तहत दिनांक 25/3/08 को परिवाद दायर किया गया था।